दैनिक भास्कर

सासाराम / कैमूर भास्कर 03-07-2026

यह सड़क बिहार और यूपी को सीधे जोड़ती है, वाहन की तो बात दूर लोगों को पैदल चलने में होती है परेशानी

रोहतास-यदुनाथपुर सड़क 40 साल से जर्जर

भास्कर न्यूज़|नौहट्टा

उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ा रोहतास-यदुनाथपुर सड़क मार्ग पिछले 40 वर्षों से जर्जर हालत में है। वन कानून की बाधा के कारण सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है। मरम्मत भी नहीं हो रही है। पूरी सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। इससे कैमूर पहाड़ी क्षेत्र के दर्जनों गांवों का संपर्क टूट गया है। लोगों का जीना मुहाल हो गया है।

स्थानीय लोगों के अनुसार यह सड़क इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह बिहार और यूपी को सीधे जोड़ती है। इस सड़क से आने-जाने पर मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ भी काफी नजदीक पड़ता है। 2001 के बाद इसकी मरम्मत नहीं हुई। बारिश और बाढ़ के पानी के तेज बहाव से पुल, पुलिया, सड़क पूरी तरह टूट चुके हैं। हालत यह है कि इस सड़क पर चलना मुश्किल है। रोहतास से डूमरखोहा यूपी सीमा तक यह सड़क अपना अस्तित्व बचाने के लिए खुद संघर्ष कर रही है। यूपी की सड़क चकाचक है।

रोहतास से यदुनाथपुर की दूरी 50 किलोमीटर है। लेकिन 50 किलोमीटर जाने में 4 घंटे लग जाते हैं। यदि शीघ्र ही इस सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई तो इस सड़क पर यातायात स्वतः रुक जाएगा। खराब सड़क होने के कारण कोई यात्री वाहन कई गांवों तक नहीं चलते। यदुनाथपुर पंचायत के जारादाग, डूमरखोहा, बेलदुरिया गांवों को जोड़ने वाले इस मार्ग के खराब होने से क्षेत्र के स्कूली छात्र, मरीज और आम लोग बेहद परेशान हैं। बीमार लोगों को डोली खटोली में टांग कर 10 किलोमीटर दूर का सफर तय कर यदुनाथपुर पहुंचाना पड़ता है। यदि संयोग से वहां भी गाड़ी नहीं मिली तो और 10 किलोमीटर दूरी तय कर परक्षा गांव जाना पड़ता है।

गांवों का संपर्क टूटा, 50 किमी की दूरी तय करने में लगते हैं 4 घंटे

1980 में इस सड़क का हुआ था निर्माण

बिहार के अंतिम सीमा में पड़ने वाली यह सड़क अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई खुद लड़ रही है। एक तरफ कैमूर की पहाड़ी तो दूसरे तरफ सोन नदी के किनारे स्थित सड़क का इतना मनोरम दृश्य है कि लोग यहां बाहर से घूमने आते हैं, लेकिन दोनों प्रदेशों की सीमा पर इस सड़क की हालत देखकर लोग बिहार सरकार को कोसते हैं। यहां दूसरी तरफ बिहार की सड़क बदहाल है। फिर कभी इसका रख रखाव का ख्याल नहीं रखा गया। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी इस सड़क के जर्जर हालत की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उदासीन रवैया अपना रहे हैं। जिसके कारण क्षेत्रीय लोगों में जन प्रतिनिधियों के प्रति आक्रोश व्याप्त है। रेलमार्ग से अछूता नौहट्टा प्रखंड के लोगों के लिए आवागमन का एक मात्र सहारा डेहरी रोहतास यदुनाथपुर सड़क मार्ग है। दिनो दिन रोहतास से चुटिया होते यदुनाथपुर तक सड़क गड्ढे में तब्दील हो गया है।

इलाज और पढ़ाई पर संकट

उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसे तीन गांवों के सैकड़ों लोग चिकित्सा, शिक्षा और राशन सामग्री के लिए पैदल चलकर आने को मजबूर हैं। बिहार-उत्तर प्रदेश की सीमा पर डेहरी रोहतास यदुनाथपुर सड़क दस किलोमीटर तक चलने योग्य नहीं है। इस सड़क पर अब आदमी तो दूर जानवर भी चलना पसंद नहीं करते हैं।

अनुमति मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा

इस संबंध में पथ निर्माण विभाग के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि सड़क वन क्षेत्र से गुजरती है। इसलिए वन विभाग की अनुमति के बिना काम शुरू नहीं हो सकता। प्रस्ताव भेजा गया है। अनुमति मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा।

जीटी रोड पर तेज रफ्तार भारी वाहन ने बाइक में मारी टक्कर, किशोर की मौत

भास्कर न्यूज़|डालमियानगर

डालमियानगर थाना क्षेत्र में जीटी रोड पर श्री राम धर्म कांटा के पास गुरुवार सुबह तेज रफ्तार अज्ञात भारी वाहन ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 16 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

प्रत्यक्षदर्शियों ने घटना की सूचना टीम 112 को दी। टीम 112 मौके पर पहुंची। डालमियानगर थाना को जानकारी दी। दोनों घायलों को निजी अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने किशोर को मृत घोषित कर दिया। घायल को बेहतर इलाज के लिए एनएमसीएच रेफर किया गया। डॉक्टरों ने घायल को खतरे से बाहर बताया। जानकारी के मुताबिक एसी मैकेनिक अबिद हुसैन बाइक चला रहे थे। वह डेहरी नगर थाना क्षेत्र के शिवगंज के रहने वाले रफीक अंसारी के 55 वर्षीय पुत्र हैं। उनके साथ कमरनगंज वार्ड नंबर 39 निवासी अल्ताफ हुसैन के 16 वर्षीय पुत्र यासिर अराफात थे। दोनों बजाज प्लेटिना बाइक बीआर 24 एसी 8929 से डेहरी से सासाराम जा रहे थे। टक्कर के बाद दोनों सड़क किनारे गिर गए। यासिर के सिर में गंभीर चोट लगी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अबिद हुसैन गंभीर रूप से घायल हो गए।

ग्रामीण सड़कों पर गड्ढे भरें, डीएम ने दिए निर्देश

सासाराम|समाहरणालय स्थित डीएम कार्यालय कक्ष में डीएम दीपक कुमार मिश्र की अध्यक्षता में ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंताओं के साथ समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सड़कों की मौजूदा स्थिति, रखरखाव, मरम्मत काम, यातायात व्यवस्था पर चर्चा हुई। डीएम ने सभी कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्र की सड़कों का नियमित निरीक्षण करें। जहां छोटे या बड़े गड्ढे मिलें, उन्हें प्राथमिकता पर तुरंत भरवाएं।

नप सशक्त समिति की पहली बैठक में पार्षद से दुर्व्यवहार पर कर्मी पर गिरी गाज

भास्कर न्यूज़|डेहरी सदर

नगर परिषद डेहरी-डालमियानगर की नव-निर्वाचित सशक्त स्थायी समिति की पहली बैठक मुख्य पार्षद शशि कुमारी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में उप मुख्य पार्षद, कार्यपालक पदाधिकारी, समिति के सभी सदस्यों ने भाग लिया। शहर में जलजमाव की समस्या के समाधान के लिए अलग-अलग वार्डों में मुख्य नालों के निर्माण की योजना तैयार करने का निर्णय लिया गया। खराब स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत कराने पर सहमति बनी। नई स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू करने का भी फैसला हुआ।

बैठक में वार्ड संख्या 34 के पार्षद अमन शर्मा की शिकायत पर विचार हुआ। नगर परिषद के कर्मचारी नसीमुल हक पर कथित अभद्र व्यवहार, काम में लापरवाही का आरोप लगा। समिति ने नसीमुल हक को छह माह के लिए सभी कार्यों से मुक्त करने का निर्णय लिया। आखपी 01-2026-27 को प्रतिस्पर्धा कम होने के कारण रद्द करने का भी सर्वसम्मति से फैसला हुआ। नई निविदा आमंत्रित की जाएगी।

कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार ने बताया कि नगर विकास, स्वच्छता, नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई प्रस्तावों को सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई। बैठक में उप मुख्य पार्षद रानी कुमारी, सशक्त स्थायी समिति की सदस्य धर्मशिला देवी, सरोज उपाध्याय, रंग लाल सिंह, रितु हजारिका, आनंद चौधरी मौजूद रहे।

संझौली में दीदी अधिकार केंद्र का कॉमन सर्विस सेंटर शुरू

सासाराम| संझौली प्रखंड परिसर में दीदी अधिकार केंद्र के तहत चलने वाले कॉमन सर्विस सेंटर का उद्घाटन हुआ। केंद्र खुलने के बाद संझौली के ग्रामीणों को सरकारी और गैर-सरकारी डिजिटल सेवाओं के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता जीविका संकुल स्तरीय संघ की अध्यक्ष कुमारी लता देवी ने की। मुख्य अतिथि प्रखंड प्रमुख समीरचंद रहे। बीपीआरओ श्वेता कुमारी मौजूद रहीं। प्रखंड परियोजना प्रबंधक प्रभार पीयूष कुमार भी पहुंचे। दीदी अधिकार केंद्र समन्वयक प्रियंका कुमारी ने सीएससी के महत्व पर बात रखी। उन्होंने कहा, केंद्र से बैंकिंग, आधार सेवाएं, पैन कार्ड, सरकारी फॉर्म भरना, दूसरे डिजिटल काम एक ही छत के नीचे मिलेंगी। उन्होंने इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया। कार्यक्रम में कुमारी सोनी सिंह क्षेत्रीय समन्वयक, प्रज्ञा सिन्हा, राम विनय कुमार, धीरज कुमार सामुदायिक समन्वयक ने सीएससी की कार्यप्रणाली की जानकारी दी।

राष्ट्रीय राजमार्ग 319 स्टेट हाईवे पर झील जैसा नजारा, कई अंडरग्राउंड मार्केट व घरों में घुसा पानी

एक घंटे की बारिश में कोचस की सड़कों पर जलजमाव

भास्कर न्यूज़|कोचस

मानसून की पहली मूसलाधार बारिश ने नगर पंचायत के विकास के दावों की पोल खोल दी। बुधवार शाम एक घंटे की बारिश में नगर पंचायत की सड़कों पर झील जैसा नजारा हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग हो या सासाराम-चौसा सड़क, हर तरफ पानी भर गया। पानी के बीच लंबी दूरी के वाहनों के साथ दोपहिया और ऑटो चालक भी हादसे का शिकार हो गए। नगर पंचायत की लाइफ लाइन मानी जाने वाली स्टेट हाईवे और राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे खोदी गई नालियां पूरी तरह जाम रहीं। नालियां जाम होने से लोगों के घरों, दुकानों, अंडरग्राउंड मकानों में पानी भर गया। दुकानदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। रामेश्वर मार्केट, पटेल मार्केट, राजपूत मार्केट, भागीरथी मार्केट, आईबीके, बस स्टैंड, सरकारी अस्पताल में पानी जमा हो गया।

सामाजिक कार्यकर्ता गोकुल चौहान, विमलेश तिवारी, अरविंद ओझा, खेदन प्रसाद सिंह, जनार्दन ओझा, मुरारी ठाकुर, दिलीप कुमार केसरी ने कहा कि बारिश से पहले नालियों की सफाई होती तो नगर पंचायत तालाब में नहीं बदलता। लोगों ने नगर पंचायत में तैनात कार्यपालक पदाधिकारी और स्वच्छता पदाधिकारी की कार्यशैली पर सवाल उठाए।

लोगों ने कहा कि अधिकारियों के तानाशाही रवैये से कोचस में विकास कार्य ठप पड़ा है। बारिश का पानी घंटों सड़कों पर जमा रहा। आवागमन बाधित रहा। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से लिखित शिकायत करने की बात कही। राष्ट्रीय राजमार्ग 319 की व्यस्त सड़क पर भी नालियों के जाम होने से जलजमाव हो गया। कल्पना चैरिटेबल अस्पताल के पीछे पांडे परिवार का तीन एकड़ से अधिक खेत में जलजमाव है।

सीएस ने सदर अस्पताल का किया निरीक्षण

भास्कर न्यूज़|सासाराम

सिविल सर्जन डॉ. मणिराज रंजन ने बुधवार रात सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत परखी। निरीक्षण में विभिन्न वार्ड, इमरजेंसी, दवा वितरण केंद्र, प्रसव कक्ष समेत अन्य इकाइयों का जायजा लिया। मरीजों को मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। सिविल सर्जन ने भर्ती मरीजों, उनके परिजनों से बात की। इलाज, दवा, अन्य सुविधाओं के बारे में पूछा। उन्होंने चिकित्सकों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति भी जांची। ड्यूटी पर मौजूद कर्मियों को मरीजों से संवेदनशील व्यवहार करने का निर्देश दिया। बेहतर चिकित्सा सेवा देने को कहा। सीएस ने अस्पताल परिसर की साफ-सफाई देखी। दवा की उपलब्धता जांची। आपातकालीन सेवाओं, जरूरी व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। अस्पताल प्रबंधक अजय कुमार गुप्ता को निर्देश दिया कि हर मरीज को समय पर उपचार मिले। जरूरी सुविधाएं मिलें। किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। डॉ. मणिराज रंजन ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देना स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकता है। औचक निरीक्षण का उद्देश्य व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति जानना है। जहां कमी मिले, उसे तुरंत दूर कराना है। उन्होंने मरीजों की सुविधा, सेवा की गुणवत्ता में लगातार सुधार के निर्देश दिए।

डिग्री कॉलेज का डीएम ने किया निरीक्षण

भास्कर न्यूज़|शिवसागर

प्रखंड क्षेत्र में खुल रहे राजकीय महाविद्यालय को लेकर सरगर्मियां बढ़ी हैं। इसे लेकर आलमपुर में भवन समेत दूसरी व्यवस्थाओं का निरीक्षण जिला पदाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा ने किया। पूर्व डीएम उदिता सिंह के तबादले के बाद दीपक मिश्रा का शिवसागर प्रखंड में यह पहला दौरा रहा। आलमपुर दौरे में डीएम ने जुलाई माह से डिग्री महाविद्यालय का संचालन शुरू करने से जुड़े कामों का निरीक्षण किया। उन्होंने उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय आलमपुर का भी निरीक्षण किया। मध्य विद्यालय आलमपुर का भी निरीक्षण हुआ। माध्यमिक विद्यालय में संचालित कक्षा 9 से 12 की परीक्षा व्यवस्था देखी गई। आईसीटी लैब का निरीक्षण हुआ। उसका कक्ष देखा गया। प्रयोगशाला का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान माध्यमिक विद्यालय में बेसिन से पानी की निकासी नहीं होने की बात सामने आई। डीएम ने प्रधानाध्यापक को इसे तुरंत ठीक कराने का निर्देश दिया। राजकीय डिग्री महाविद्यालय में चल रहे विकास कार्यों पर डीएम ने संतोष जताया। कॉलेज में नामांकन शुरू हो गया है। उद्घाटन समारोह की तिथि तय की जानी है। यह राजकीय महाविद्यालय अतिपिछड़ों वर्ग के लिए बने हॉस्टल वाले मकान में संचालित किया जा रहा है। मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी मदन राय, प्रिंसिपल महेंद्र पांडेय समेत अन्य अधिकारी और शिक्षक मौजूद रहे।

ताजिया जुलूस में धार्मिक झंडा तोड़ा, 35 पर केस

अकोढ़ीगोला| ताजिया जुलूस के दौरान मुख्य बाजार के टेम्पो स्टैंड के पास लगे एक धार्मिक झंडे को तोड़ दिया गया। जुलूस में प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट ने 35 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी कराई है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वीडियो फुटेज के आधार पर झंडा तोड़ने वाले की पहचान की जा रही है। थानाध्यक्ष राकेश गोसाईं ने बताया कि श्रम परिवर्तन पदाधिकारी रंजन कुमार के आवेदन पर प्राथमिकी हुई है। जुलूस के दौरान कुछ लोग हाथ में बड़े-बड़े झंडे लेकर आए थे। इन्हीं लोगों ने बाजार में लगे धार्मिक झंडे को तोड़ दिया। झंडा जमीन पर गिरते ही मौके पर मौजूद अधिकारी ने उसे उठाकर ले लिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया।

सतर्कता दिवस पर विद्युत कार्यालय में अधिकारियों ने ली ईमानदारी की शपथ

भास्कर न्यूज़|सासाराम

सतर्कता जागरूकता दिवस पर गुरुवार को रोहतास जिले के विद्युत अवर प्रमंडल कार्यालय सासाराम परिसर में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। सत्यनिष्ठा, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन को लेकर शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में कार्यपालक अभियंता ई. ब्रविन, सहायक अभियंता शहरी रंजन कुमार, विभाग के लोक सेवक, अधिकारी, कर्मचारी शामिल हुए। सभी ने ईमानदारी, पारदर्शिता, जवाबदेही के साथ काम करने का संकल्प लिया। अधिकारियों, कर्मचारियों ने प्रतिज्ञा की कि वे काम निष्पक्षता, पारदर्शिता, पूरी ईमानदारी से करेंगे। पद की गरिमा बनाए रखेंगे। जनहित को प्राथमिकता देंगे। किसी भी हालत में रिश्वत नहीं लेंगे। रिश्वत देने को बढ़ावा नहीं देंगे। भ्रष्टाचार पर शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाएंगे। हर तरह की अनियमितता, भ्रष्ट आचरण का विरोध करेंगे। शपथ में यह भी कहा गया कि आम लोगों की समस्याओं का त्वरित, प्रभावी समाधान किया जाएगा। जनसेवा को सर्वोच्च दायित्व माना जाएगा। सरकारी योजनाओं, सेवाओं का लाभ पात्र लोगों तक पारदर्शी, समयबद्ध तरीके से पहुंचाना हर लोक सेवक की जिम्मेदारी है। इसके लिए अधिकारी संवेदनशील रहेंगे। जवाबदेह रहेंगे। जनहित के प्रति समर्पित रहेंगे। समारोह में संदेश दिया गया कि भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी, उत्तरदायी प्रशासन केवल सरकारी प्रयास से नहीं बनेगा। अधिकारियों, कर्मचारियों, आम नागरिकों की साझा भागीदारी जरूरी है। सभी ने सत्यनिष्ठा, नैतिक मूल्यों, ईमानदारी को रोजमर्रा के कामकाज का हिस्सा बनाने का संकल्प दोहराया। समापन राष्ट्रहित, सुशासन, जनकल्याण के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता के साथ हुआ।

बिक्रमगंज में शराब के साथ पति-पत्नी गिरफ्तार

बिक्रमगंज|बिक्रमगंज उत्पाद पुलिस ने गुरुवार को अनुमंडल अंतर्गत दावथ थाना क्षेत्र के नेशनल हाइवे स्थित एक होटल मे छापेमारी कर पति पत्नी को शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। उत्पाद निरीक्षक अजीत कुमार ने बताया कि गुप्त सुचना के आधार पर छापेमारी की गई। जिस होटल से शराब बरामद किए गए वहां से पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। शराब के कारोबार कौन कर रहा था इसकी जांच किया जा रहा है। जांच के बाद विभागीय कार्रवाई कर न्यायालय को सुपुर्द कर दिया जाएगा।

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !

ए.आर.एम.बी औरंगाबाद, ओल्ड जीटी रोड, औरंगाबाद, बिहार

परिशिष्ट IV | नियम 8|1| देखें|

कब्जे की सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

मेसर्स श्री सरयू जी राइस मिल, निवासी ग्राम एवं पोस्ट- मोथा, थाना- काराकाट (गोरारी), जिला- रोहतास, बिहार, पिन- 802214	श्री कुमार विनोद सिंह पिता सरजू सिंह निवासी ग्राम एवं पोस्ट- मोथा, थाना- काराकाट (गोरारी), जिला- रोहतास, बिहार, पिन- 802214	श्री प्रमोद कुमार सिंह पिता सरजू सिंह, निवासी ग्राम एवं पोस्ट- मोथा, थाना- काराकाट (गोरारी), जिला- रोहतास, बिहार, पिन- 802214
श्री अशोक कुमार सिंह पिता सरजू सिंह. निवासी ग्राम एवं पोस्ट- मोथा, थाना- काराकाट (गोरारी), जिला- रोहतास, बिहार, पिन- 802214	श्री कुमार परमेन्द्र पिता सरजू सिंह, निवासी ग्राम एवं पोस्ट- मोथा, थाना- काराकाट (गोरारी), जिला- रोहतास, बिहार, पिन- 802214	श्रीमती विमला सिंह पति राजेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम एवं पोस्ट- मोथा, थाना- काराकाट (गोरारी), जिला- रोहतास, बिहार, पिन- 802214
राजीव रंजन सिंह पिता राजेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम एवं पोस्ट- मोथा, थाना- काराकाट (गोरारी), जिला- रोहतास, बिहार, पिन- 802214	विमला सिंह पति राजेन्द्र सिंह(श्री राजेंद्र सिंह के कानूनी प्रतिनिधि)निवासी ग्राम एवं पोस्ट- मोथा, थाना- काराकाट (गोरारी), जिला- रोहतास, बिहार, पिन- 802214	श्री विजय कुमार सिंह, निवासी-पोस्ट-मोथा काराकाट, रोहतास, पिन-802235

जबकि

अधोहस्ताक्षरी वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 (54 ,2002) के अंतर्गत पंजाब नैशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 04.11.2025 को एक मांग सूचना जारी किया था जिसमे उधारकर्ता मेसर्स श्री सरयू जी राइस मिल (0846008700005222) शाखाः सासाराम (08460) को सूचना में उल्लिखित राशि रु.1,77,64,138.50 (रूपये एक करोड़ सतहत्तर लाख चौंसठ हजार एक सौ अड़तीस एवं पचास पैसे मात्र) साथ ही अतिरिक्त ब्याज, लागत एवं शुल्क उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था।

उधारकर्ता द्वारा राशि वापस करने में असफल रहने के कारण, उधारकर्ता एवं आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि निचे हस्ताक्षरकर्ता ने अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के साथ पठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002, के नियम 8 के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 01 जुलाई 2026 को निचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता एवं आम जनता को इस संपत्ति से सम्बंधित कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है एवं संपत्ति से सम्बंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन पंजाब नैशनल बैंक द्वारा रु. 1,77,64,138.50 (रूपये एक करोड़ सतहत्तर लाख चौंसठ हजार एक सौ अड़तीस एवं पचास पैसे मात्र) दिनांक 31.10.2025 तक एवं उस पर ब्याज के भार के अधीन होगा।

उधारकर्ता/गारंटर/बन्धककर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है जो सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है।

अचल संपत्ति का विवरण

क्र.सं	संपत्ति का विवरण	बन्धककर्ता	चौहद्दी
1	मौजा- मोथा, खाता संख्या- 752, प्लॉट संख्या- 735, क्षेत्रफल- 1.89 एकड़, सेल डीड संख्या- 724 दिनांक 24.02.1995	कुमार विनोद एवं प्रमोद कुमार सिंह	उत्तरः- निज, दक्षिणः- निज पूर्वः-कपिल ठाकुर , पश्चिमः-नाहर
2	मौजा- मोथा, खाता संख्या- 752, प्लॉट संख्या- 736, क्षेत्रफल- 1.46 एकड़, सेल डीड संख्या 725, दिनांक 24.02.1995	डॉ. राजेंद्र प्रसाद सिंह, श्री अशोक कुमार सिंह एवं कुमार प्रमेंद्र .	उत्तरः-उग्रह कानू, दक्षिणः-निज एवं शिवपूजन हजाम, पूर्वः- बगीचा ,पश्चिमः- नाहर
3	मौजा- मोथा, खाता संख्या- 752, प्लॉट संख्या- 735, क्षेत्रफल- 40 डेसिमल, सेल डीड संख्या- 725, दिनांक 24.02.1995	डॉ. राजेंद्र प्रसाद सिंह, श्री अशोक कुमार सिंह एवं कुमार प्रमेंद्र .	उत्तर- निज, दक्षिण- निज पूर्वः-शिवपूजन हजाम, पश्चिम-नाहर
4	मौजा- मोथा, खाता संख्या- 40, प्लॉट संख्या- 742, क्षेत्रफल- 98 डेसिमल, सेल डीड संख्या- 1681, दिनांक 04.04.1995	डॉ. राजेंद्र प्रसाद सिंह, अशोक कुमार सिंह एवं कुमार प्रमेंद्र	उत्तरः-शिव शर्मा, दक्षिणः-सूरत सिंह पूर्वः-राम अयोध्या पासी, पश्चिमः-क्रेता
5	मौजा- मोथा, खाता संख्या- 677, प्लॉट संख्या- 741, क्षेत्रफल- 78 डेसिमल, सेल डीड संख्या- 1681, दिनांक 04.04.1995	डॉ. राजेंद्र प्रसाद सिंह, अशोक कुमार सिंह एवं कुमार प्रमेंद्र	उत्तरः- खरीदार, दक्षिण- खरीदार पूर्व- खरीदार, पश्चिम- खरीदार

नोट- उक्त खाते के संबंध में जारी किया गया कब्जे की सूचना, यदि कोई हो, तो उसे वापस ले लिया गया माना जाएगा।

स्थान : औरंगाबाद
दिनांक: 01.07.2026

विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा

प्राधिकृत अधिकारी
पंजाब नैशनल बैंक

कोर्ट नोटिस

न्यायालय सब जज प्रथम
बक्सर
नम्बरी वाद सं०- 24 सन् 2025
अभिषेक उपाध्याय.... वादी
बनाम
विद्या कुमारी एवं अन्य
प्रतिवादीगण

नोटिस बनाम :-

(1) बबिता देवी, पति जितन गोस्वामी, साकिन- परीथमपुर, थाना- शिवसागर, जिला- रोहतास, बिहार।

चूँ बजरिये नोटिस आपलोगों को सूचित किया जाता है कि न्यायालय के द्वारा रजिस्टर्ड डाक से एवं नजारत पिउन के माध्यम से नोटिस भेजा गया है लेकिन इसके बावजूद आपलोग जानबुझकर वर्तमान मुकदमा में उपस्थित नहीं हो रहे है। उल्लेखनीय है कि उक्त वाद में निर्धारित तिथि दिनांक-24.08.2026 को सुबह 10:30 बजे स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे अन्यथा आपलोगों के विरुद्ध एकपक्षीय सुनवाई का आदेश पारित किया जायेगा। इसे सख्त ताकिद जानें। आज दिनांक 4.6.26 को जारी किया गया

आदेशानुसार
सब जज, प्रथम, बक्सर

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !

सर्कल ऑफिस, ओल्ड जीटी रोड, औरंगाबाद, बिहार – 824101

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतदद्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी / चार्ज की गई है, जिसका रचनात्मक/भौतिक/प्रतीकात्मक कब्जा उसके द्वारा ले लिया गया है। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता को अपने बकाया की वसूली के लिए नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि पर 'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो कुछ भी है' पर बेचा जाएगा। संबंधित उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (गारंटरों) से सुरक्षित लेनदार, आरक्षित मूल्य और बयाना राशि जमा नीचे दी गई तालिका में सम्बंधित सम्पत्तियों के अनुसार होगी।

परिशिष्ट- IV-A |नियम 9 (1) का प्रावधान देखें| (सुरक्षित परिसंपत्तियों की अनुसूची)

लॉट न.	शाखा का नाम / खाते का नाम / उधारकर्ता/गारंटर के खाते का नाम एवं पता	गिरवी रखी गई अचल संपत्तियों का विवरण/मालिक का नाम (संपत्ति को गिरवी रखने वाले)	(क) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना की तिथि (ख) मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि (ग) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जा की तिथि (घ) कब्जे की प्रकृति	क) आरक्षित मूल्य (लाख रुपये में) ख) ईएमडी ग) बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात ऋणभारों का विवरण
1	शाखा-सासाराम (084600) खाता संख्या-1630300500065 श्री संजय चौधरी पिता श्री मोती चौधरी निवास स्थानः कोटा, एच.पी. गैस एजेंसी के पास, सासाराम, जिला-रोहतास, बिहार-822115 इसके अलावाः शोभागंज, सासाराम, जिला-रोहतास, बिहार-821115 श्रीमती पन्ना कुंवर पति श्री मोती चौधरी निवासी- शोभागंज, सासाराम, जिला-रोहतास, बिहार - 821115	अचल संपत्ति स्थित हैः मौजा- रजोखर, रेव थाना-122, खाता संख्या-13, प्लॉट संख्या-32, हल्का संख्या-6, थाना-सासाराम, जिला-रोहतास, क्षेत्रफल-1167 वर्ग फुट, सेल डीड संख्या 10832 दिनांक 28.07.2012 श्रीमती पन्ना कुंवर पति मोती चौधरी के नाम पर। चौहद्दीः उत्तर-निज, दक्षिण-निज, पूर्व-18 फीट रास्ता, पश्चिम-निज	क) 02.04.2022 ख) रु.9,48,159/- + अतिरिक्त ब्याज ग) 12.07.2022 घ) सांकेतिक	क) रु.17,81,600/- ख) रु.1,78,160/- ग) रु.25,000/-	दिनांक 17.07.2026 को दोपहर 12:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक	ज्ञात नहीं

नियम एवं शर्तें : बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों एवं शर्तों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:
1. संपत्तियों को 'जैसा है जहां है के आधार पर' और 'जैसा है जो है के आधार पर' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर बेचा जा रहा है। 2. यहां ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 3. बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट https://baanknet.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से 17.07.2026 को दोपहर 12.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक की जाएगी। 4. बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया https://baanknet.com और www.pnbindia.in देखें। 5. प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने, यदि स्वीकार्य न हो, या किसी भी समय बिना कोई कारण बताए नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द/स्थगित/बंद करने या बदलने का अधिकार सुरक्षित है एवं इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 9 (1) के तहत वैधानिक बिक्री सूचना | विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा | प्राधिकृत अधिकारी

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !

सर्कल ऑफिस, ओल्ड जीटी रोड, औरंगाबाद, बिहार – 824101

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतदद्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी / चार्ज की गई है, जिसका रचनात्मक/भौतिक/प्रतीकात्मक कब्जा उसके द्वारा ले लिया गया है। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता को अपने बकाया की वसूली के लिए नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि पर 'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो कुछ भी है' पर बेचा जाएगा। संबंधित उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (गारंटरों) से सुरक्षित लेनदार, आरक्षित मूल्य और बयाना राशि जमा नीचे दी गई तालिका में सम्बंधित सम्पत्तियों के अनुसार होगी।

परिशिष्ट- IV-A |नियम 9 (1) का प्रावधान देखें| (सुरक्षित परिसंपत्तियों की अनुसूची)

लॉट न.	शाखा का नाम / खाते का नाम / उधारकर्ता/गारंटर के खाते का नाम एवं पता	गिरवी रखी गई अचल संपत्तियों का विवरण/मालिक का नाम (संपत्ति को गिरवी रखने वाले)	(क) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना की तिथि (ख) मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि (ग) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जा की तिथि (घ) कब्जे की प्रकृति	क) आरक्षित मूल्य (लाख रुपये में) ख) ईएमडी ग) बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात ऋणभारों का विवरण
1	शाखाःकरगहर (235300) खाता संख्या 2353008700001777 एवं 235300SG00000164 मेसर्स दीपक मिनी राइस मिल, प्रोप- श्रीमती कलावती देवी पति श्री हरेंद्र सिंह श्रीमती कलावती देवी पति श्री हरेन्द्र सिंह श्री राम निवास सिंह पिता स्वर्गीय राम जनम सिंह श्री दीनानाथ सिंह पिता स्वर्गीय राम जनम सिंह गेना कुंवर पति स्वर्गीय राम प्रसाद सिंह श्री हरेन्द्र सिंह पिता स्वर्गीय राम प्रसाद सिंह श्री नरेंद्र सिंह पिता स्वर्गीय राम प्रसाद सिंह श्री देवेन्द्र पिता स्वर्गीय राम प्रसाद सिंह सभी निवासी-नीमडिहरा, पोस्ट+थाना-करगहर, जिला-रोहतास, बिहार-821107	अचल संपत्ति स्थित हैः मौजा-नीमडीहरा, थाना संख्या-82, रेव थाना करगहर, जिला-रोहतास, खाता संख्या-49, प्लॉट संख्या-1080, क्षेत्रफल-11 डिसमिल, पंजीकृत बंधक विलेख संख्या 2182 दिनांक 15.02.2016 1.श्री राम निवास सिंह पिता स्वर्गीय राम जनम सिंह 2. श्री दीनानाथ सिंह पिता स्वर्गीय राम जनम सिंह 3. मो. गेना कुंवर पति स्वर्गीय राम प्रसाद सिंह 4. श्री हरेन्द्र सिंह पिता स्वर्गीय राम प्रसाद सिंह 5.श्री नरेंद्र सिंह पिता स्वर्गीय राम प्रसाद सिंह 6.श्री देवेन्द्र सिंह पिता स्वर्गीय राम प्रसाद सिंह चौहद्दीः उत्तर- छविनाथ सिंह, दक्षिण- दया शंकर सिंह, पूर्व- बलिराम सिंह, पश्चिम- सड़क	क) 25.05.2023 ख) रु.25,40,230.57 + अतिरिक्त ब्याज ग) 02.08.2023 घ) सांकेतिक	क) रु. 34,29,750.00/- ख) रु. 3,42,975/- ग) रु. 25,000/-	दिनांक 17.07.2026 को दोपहर 12:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक	ज्ञात नहीं

नियम एवं शर्तें : बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों एवं शर्तों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:
1. संपत्तियों को 'जैसा है जहां है के आधार पर' और 'जैसा है जो है के आधार पर' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर बेचा जा रहा है। 2. यहां ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 3. बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट https://baanknet.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से 17.07.2026 को दोपहर 12.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक की जाएगी। 4. बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया https://baanknet.com और www.pnbindia.in देखें। 5. प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने, यदि स्वीकार्य न हो, या किसी भी समय बिना कोई कारण बताए नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द/स्थगित/बंद करने या बदलने का अधिकार सुरक्षित है एवं इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 9 (1) के तहत वैधानिक बिक्री सूचना | विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा | प्राधिकृत अधिकारी